Volume-4, No. II, Aug-2017, pp.Hin.-01-05

माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति के किशोर विद्यार्थियों के आत्म प्रत्यय एवं सवेंगात्मक परिपक्वकता के मध्य सह–सम्बन्ध का अध्ययन (जिला–बुलन्दशहर के संदर्भ में)

डा. वीरेन्द्र कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
डी.पी.बी.एस.(पी.जी.) कालिज अनूपशहर बुलन्दशहर उ.प्र. भारत।
चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उ.प्र. भारत।

भूमिका–

किशोरावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है इस अवस्था में बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि आन्तरिक एवं बाह्य परिवर्तन होते हैं। बालक के इन आन्तरिक एवं वाह्य परिवर्तनों को उचित दिशा एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है। अनुसूचित जाति के लिए संविधान के अनुच्छेद 341, 342 की व्यवस्थाओं के अनुसार इन वर्गों के लिए संरक्षण व सुरक्षा की बात कही गई है, जिसमें शैक्षिक, आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक कमियों को दूर करने की विशेष व्यवस्था की गई है। वर्ष 1978 में संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए एक आयोग का गठन किया गया। बच्चे देश का दर्पण है, वे राष्ट्र की मुस्कराहट हैं, बच्चों में वर्तमान करवट बदलता है और भविष्य के बीज उसी में बोये जा सकते हैं, किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए मौलिक तत्व शिक्षा है। वर्ष 1948 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने एक शिक्षा सम्मेलन में कहा था ''बुनियादी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि उसके बगैर वह बतौर नागरिक जिम्मेदारियाँ बखूबी नहीं निभा सकता है।'' लोकतन्त्र की सफलता एक सुव्यवस्थित, सुशिक्षित और कुण्ठा रहित समाज पर निर्भर करती है। समाज की शिक्षित विकसित और सहयोग की भावना ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। यह सोच किसी एक वर्ग की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण समाज की होनी चाहिए। प्रस्तुत शोध से अनुसूचित जाति के किशोरों की आत्म–सम्प्रत्यय व संवेगात्मक परिदृश्य का पता चलता है कि कितने स्थिर हैं। इस शोधकार्य से शिक्षकों व प्रधानाचार्य को भी अपने स्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के किशोरों के बारे में व्यवस्थित रूप में ज्ञान मिल सकेगा।

मुख्य शब्द– समस्या कथन, न्यादर्श, जनसंख्या, उपकरण, शोध विधि, संवेगात्मक परिपक्वता, किशोरावस्था, अनुसूचित जाति, शोध का सीमांकन, शोध परिकल्पनाऐं, सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

समस्या की उत्पत्ति एवं अध्ययन की आवश्यकता –

हमारे विकास का लक्ष्य जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय रखा गया था वह आज 55–56 वर्ष बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। हर वर्ग व जाति के विकास के लिए संविधान में अलग–अलग प्राविधान किये गये हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर क्षेत्र में सरकार अलग से अनुदान देकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, किन्तु लक्ष्य आज भी दूर हैं। लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त हो पाया? क्या रूकावटे हैं? और उन रूकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है? यह जानने के लिए हमें निरन्तर शोध अध्ययनों की आवश्यकता है।

सरकार के अत्यधिक प्रयास के पश्चात भी अभी तक अनुसूचित जाति के छात्र सामान्य की अपेक्षा–सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से कम विकसित है। इसी विकास के प्रयास में सरकार ने न केवल पढ़ाई में अनुसूचित जाति की अलग व्यवस्था की है, वरन् उनके रोजगार के लिए भी कुछ अलग से व्यवस्था (कोटा) की गई है, जिससे सामाजिक ढाँचे में सभी वर्ग अपनी संस्कृति, सभ्यता को बनाये रखते हुए एक समान स्तर पर आ सकें।

यह सर्वविदित है कि प्रत्येक किशोर एक विशिष्ट व्यक्ति बनना चाहता है, जिसमें शारीरिक स्वच्छता, स्वस्थता एवं बौद्धिक योग्यता हो और वह पर्याप्त मात्रा में संवेगात्मक संतुलित हो जिससे कि समाज में उसका कुछ स्थान बन सके। आज भारतीय किशोर अत्यधिक तनाव की स्थिति में जीता है। एक ओर पढ़ाई का बोझ, प्रतियोगिताएं और प्रतिस्पर्धाएं हैं तो दूसरी ओर भविष्य की शंकाये हैं। वह अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से भी दबाव में रहता है। इन सब कारणों से वह सांवेगिक रूप से अस्थिर व अति संवेदनशील हो रहे हैं। उनका मनोभाव जल्दी–जल्दी बदलता है, कभी वे परोपकारी नजर आते हैं तो कभी अति स्वकेन्द्रित। उनकी रूचियों व क्रिया–कलापों में भी बदलाव होते रहते हैं अनुसूचित जाति के किशोर तो वैसे भी सामाजिक दबाव में रहते हैं, उन्हें अपने समवयस्क साथियों के साथ व्यवहार में तालमेल बिठाना पड़ता है। कभी–कभी वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और तनावग्रस्त रहने लगते हैं। वे अपना स्व–आंकलन कम करने लगते हैं। इन परिस्थितियों का उनकी पढ़ाई–लिखाई पर प्रभाव पड़ता हैं,

जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि तथा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इन सभी बातों को देखते व अनुभव करते हुए शोधकर्ता ने विचार किया कि अनुसूचित जाति के किशोरों की शैक्षिक उपलब्धि सांवेगिक स्थिरता पर एक शोधकार्य किया जाय और इनका उनके शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रभाव जानने का प्रयास किया जाय। इसी विचार के अन्तर्गत शोधकर्ता ने इस शोधकार्य को प्रस्तावित किया है।

समस्या कथन –माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति के किशोर विद्यार्थियों के उनके आत्म प्रत्यय एवं संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सह–सम्बन्ध का अध्ययन (जिला–बुलन्दशहर के संदर्भ में)

अध्ययन का महत्व

हमारे लोकतंत्र की सफलता एक सुव्यवस्थित, सुशिक्षित और कुण्ठा रहित समाज पर निर्भर करता है। समाज की शिक्षित, विकसित और सहयोग की भावना ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। यह सोच किसी एक वर्ग की नहीं, अपितु सम्पूर्ण समाज की होनी चाहिए, जिसमें सभी जाति, धर्म और वर्ग का बराबर सहयोग हो। यदि एक भी वर्ग पिछड़ा रह गया तो समाज का ढांचा न केवल आगे बढ़ने में रूकावट पैदा करेगा, वरन् हमारा समाज चरमरा जायेगा।

समाज को आगे बढ़ाने में किशोरों का विशेष सहयोग होता है, क्योंकि वे ही कल के नागरिक हैं और उन्हें ही देश को आगे बढ़ाने की दिशा तय करनी है। इसीलिए सभी वर्ग के किशोरों का चाहे वह अनुसूचित जाति व जनजाति के हों या सामान्य वर्ग के उन्हें मुक्त हृदय, मुक्त मस्तिष्क तथा विचारों से सहयोग देना अपेक्षित है। अनुसूचित वर्ग के छात्र प्रायः आगे आने से पीछे हटते हैं। कभी उनका आत्म प्रत्यय रूकावट बनता है तो कभी उनकी संवेगात्मक परिपक्वता आड़े आती है। यदि इन दोनों स्तर पर सामान्य रहकर अनुसूचित जाति के छात्र आगे आयें तो न केवल वह अपनी शैक्षिक उपलब्धियों में बढ़ेंगे बल्कि वह अपने समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेंगे। उपरोक्त बातों के सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध न केवल शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वरन् सामाजिक उत्थान की दृष्टि से भी एक नई सोच व दिशा देने का प्रयास है।

प्रस्तावित शोधकार्य से अनुसूचित जाति के किशोरों की संवेगात्मक परिदृश्य का पता चल सकेगा कि संवेगात्मक रूप में वे कितने स्थिर है? साथ ही ये किशोर अपने 'स्व' के बारे में कितना जानते हैं, समझते हैं तथा आंकलन करते हैं, यह भी विदित हो सकेगा। इसी से यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि वे कहीं हीन–भावना से ग्रस्त तो नहीं है। प्रस्तुत शोध कार्य से अनुसूचित जाति के इन्टर कक्षा में अध्ययनरत किशोरों की शैक्षणिक उपलब्धि की स्थिति का पता चल सकेगा कि वे मेधावी हैं, औसत हैं या औसत से कम चल रहे हैं। इस शोध कार्य से शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को भी अपने स्कूल में अनुसूचित जाति के किशोरों के बारे में व्यवस्थित रूप में विभिन्न जानकारियाँ मिल सकेंगी, जिससे वे यह तय कर सकेंगे कि अभी इनको प्रगति के लिए विद्यालयों में क्या कुछ और किया जा सकता है। किशोरों के अभिभावकों को भी अपने बालक/बालिकाओं के आत्म–प्रत्यय, संवेगात्मक स्थिति तथा शैक्षणिक उपलब्धि की सम्बन्धात्मक जानकारी मिल सकेगी। इससे बालक–बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति के लिए आवश्यक कदम उठाने के दिशा संकेत मिल सकेंगे। प्रस्तुत शोधकार्य से अनुसूचित जाति के किशोरों में इससे प्रेरणा मिल सकेगी कि उन्हें भी समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह शोधकार्य उन्हीं लोगों पर किया जा रहा है। प्राप्त शोध परिणाम, शिक्षाविदों, समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों के लिए भी कई मायनों में उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी आशा की जा रही है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्ष सरकार के समाज कल्याण विभाग के लिए भी लाभकारी हो सकते हैं जो कि अनुसूचित जाति के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित करते हैं।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

किसी भी शोध को सम्बन्धित साहित्य एक दिशा निर्देशित करता है, अतः किसी भी समस्या का सर्वेक्षण व विवेचना करने से पहले हमें उससे सम्बन्धित साहित्य की पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। शोधकर्ता ने सम्बन्धित साहित्य के दौरान पाया कि किशोरों के आत्म–प्रत्यय पर काफी अध्ययन किया गया।

आर0 अग्रवाल 1985, जी0 भारती 1984, गैन एस0 1983 ने आत्म प्रत्यय का विभिन्न तत्वों के सम्बन्ध में अध्ययन किया।

जर्मन डॉन नी, ई0 हैवेनेइच, डोना जे0, फचर, बिलफ्रैड ने भी 1990 में मनोवैज्ञानिक सन्दर्भ में आत्म–प्रत्यय का अध्ययन किया।

ब्रेकन, ब्रूश, हॉवेल, करैन के0 1991 ने आत्म प्रत्यय की वैधता को विभिन्न दृष्टिकोणों से विस्थापित करने का प्रयास किया।

मैकलियर, रोनाल्ड जे0 (यू0 नार्थ, क्रोहिना, सी0आर0ई0 और क्रेटिव रिटायरमेंट एशेविल 1990) ने आत्म प्रत्यय के चार दृष्टिकोणों से परीक्षण किया।

सेन, अनिमा, सलमा (दिल्ली विश्वविद्यालय ने 'साईकोलॉजिकल कारेक्टराईस्टिक ऑफ **इंडियन वूमैन इन्टरव्यूनोर्स' अभियान (1992)** में आत्म प्रत्यय को व्यक्तित्व और यौन के सम्बन्ध में अध्ययन किया।

वाटसन पी0जे0, हिकमैन, सुजन ई, मोरिस रोनाल्ड, जे0 मिलिरॉन, जे0 ट्रेवर आदि ने 1995 में आत्म प्रत्यय का परीक्षण छात्रों के आपसी सम्बन्धों के सन्दर्भ में किया।

डॉ0 रजनी सिन्हा व मनोज कुमार ने वर्ष 2000 में आत्म प्रत्यय का अध्ययन विभिन्न व्यक्तित्व के सन्दर्भ में किया।

इसी प्रकार संवेगात्मक परिपक्वता पर आधारित बहुत शोधकार्य मिलता है–

डॉ रजनी सिंहा व मनोज कुमार ने ही किशोर छात्र–छात्राओं पर E.M.S. के माध्यम से अध्ययन किया और वह भी सामान्य छात्रों तक ही सीमित है। अनुसूचित जाति पर भी अभी इन दोनों चरों के माध्यम से कोई अध्ययन नहीं किया।

भाटिया (1984) और घूरकर (1962) ने पाया कि सामान्यतया अनुसूचित जाति वालों की बुद्धिमता सामान्य जाति वालों से कम होती है।

बंसल (1973) ने पाया कि सामान्य छात्रों की अपेक्षा अनुसूचित जाति के छात्रों का समायोजन स्कूल, घर सामाजिक तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमजोर होता है।

शाह (1990) ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में अध्ययन सम्बन्धी आदतों, मानसिक द्वन्द्व, शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति, शिक्षक के प्रति मनोवृत्ति, आत्म विश्वास एकाग्रता, प्रदत्त ग्रहकार्य एवं घर का वातावरण, शिक्षा के क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याएं हैं जो इनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव डालती है।

अर्चना श्रीवास्तव (2002) ने उज्जैन शहर के कक्षा–10 के कुल 505 विद्यार्थियों पर जोखिम स्वीकारने की क्षमता का अध्ययन किया। इनमें से 231 सामान्य जातियों के तथा 274 आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी थे। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सामान्य जाति के विद्यार्थियों की जोखिम स्वीकारने की क्षमता आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों से अधिक उच्च स्तरीय है।

अग्रवाल (2002) ने अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य जाति के छात्रों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि अनुसूचित जाति के छात्रों का समायोजन, सामान्य छात्रों से कम रहता है, पिछड़ी जाति के अधिकांश छात्रों का समायोजन, सामान्य छात्रों के लगभग रहता है, जबकि पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के छात्रों का समायोजन औसतन बराबर रहता है।

अन्सारी (1972) ने अपने एक अध्ययन में पाया कि स्कूल के विद्यार्थियों और कालेज के विद्यार्थियों की चिन्ता में महत्वपूर्ण और सार्थक अन्तर होता है।

एन0 शर्मा (1970) ने एक अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि जिन छात्रों में चिन्ता की मात्रा उच्च अथवा निम्न थी, इन छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर माध्यम होता है।

उद्देश्य–

- अनुसूचित जाति के किशोर विद्यार्थियों के आत्म–प्रत्यय एवं संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सह–सम्बन्ध का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाऐं :–

- अनुसूचित जाति के किशोर विद्यार्थियों के आत्म–प्रत्यय एवं संवेगात्मक परिपक्वता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

यह अध्ययन बुलन्दशहर के माध्यमिक विद्यालयो के कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत किशोर छात्र–छात्राओं तक सीमित है, जिसमें सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया गया है। यह सभी विद्यालय यू0पी0 बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा मान्यता प्राप्त है।

शोध का सीमांकन :–

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर के माध्यमिक विद्यालयों के किशोर छात्र–छात्राओं तक सीमित है, जिसमें सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्ववित पोषित विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया गया है। यह सभी विद्यालय यू0पी0 बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे।

प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

1. अनुसूचित जाति

संविधान के अनुच्छेद 341, 342 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेशों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों का विवरण दिया गया। इन वर्गों का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने, इन्हें उचित सुविधायें व संरक्षण देने के लिए इन जातियों को एक अनुसूची के अन्तर्गत रखा गया, समस्त सरकारी व शासकीय प्रयोजन के लिए इन्हें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

2. किशोरावस्था

किशोरावस्था को अंग्रेजी में 'Adolescence' कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के 'Adolescere' क्रिया से बना है–जिसका अर्थ है– ''परिपक्वता की ओर बढ़ना'' (to grow to maturity) सामान्यतः किशोरावस्था का समय 12 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक की उम्र को माना गया है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का काल है अर्थात बालक दोनों अवस्थाओं में रहता है। अतः उसे न तो बालक समझा जाता है और न प्रौढ़।

स्टेनले हाल के अनुसार–''किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्थाा है।''
ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार–''किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है, जो बाल्यावस्था के अन्त में प्रारम्भ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरम्भ में समाप्त होता है।''

3. संवेगात्मक परिपक्वता

संवेग का सम्बन्ध हमारे भावात्मक पहलू से है। संवेग से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में अन्तर आ जाता है, व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता और कुछ समय के लिए बुद्धि से नियंत्रण हट जाता है। वास्तव में संवेग जीव की शक्ति को उत्तेजित करते हैं और उसकी आवश्यकतानुसार सहायता भी करते हैं। स्पष्ट है–संवेग एक जटिल भावात्मक मानसिक क्रिया है।

रॉस के अनुसार–''संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है।''
वुडवर्थ के अनुसार–''संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है''

इसी प्रकार **परिपक्वता** का अर्थ है–स्वाभावित विकास। जब व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के विकास, बिना किसी प्रकार के अधिगम अथवा प्रशिक्षण के कारण स्वाभाविक रूप से होता है तो उसे हम परिपक्वीकरण कहते हैं, जबकि विकास वांछित तथा प्रगतिशील परिवर्तन के द्वारा अर्जित किया जाता है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि संवेगात्मक परिपक्वता का अर्थ है–संवेगों का स्वाभाविक विकास।

प्रत्यय अधिगम का मूलाधार है, प्रत्यय का निर्माण संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण की क्रियाओं के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों से होता है। प्रत्यय एक जैसी विशेषता वाले उद्दीपकों का एक समूह है ये उद्दीपक व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा घटना भी हो सकता है। प्रत्यय चिन्तन के साधन है, भिन्न–भिन्न व्यक्ति भिन्न–भिन्न प्रयोजन के चिन्तन के साधनों का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रत्यय के अर्थ में भी प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से अन्तर आता है। एक वस्तु के लिए आपका जो प्रत्यय है, दूसरे व्यक्ति का उसी वस्तु के प्रति भिन्न प्रत्यय हो सकता है, ये भिन्नता अमूर्त वस्तुओं, गुणों, मूर्त वस्तुओं से सम्बन्धित प्रत्ययों में दिखाई देती है जैसे–'पेपर' शब्द विद्यार्थी, परीक्षक, व्यापारी, निर्माता के लिए भिन्न–भिन्न अर्थो का संकेत करते हैं।

पी0 डिसस्को के अनुसार–''प्रत्यय एक विशेष उद्दीपक नहीं वरन् उद्दीपकों का एक वर्ग है।''
रॉस के अनुसार–''प्रत्यय क्रियाशील, ज्ञानात्मक मनोवृत्ति है, ये देखी गई वस्तु का मस्तिष्क में नमूना है।''
वुडवर्थ के अनुसार–''प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं।'' इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि आत्म–प्रत्यय का अर्थ है–व्यक्ति के गुणों और व्यवहार आदि के सम्बन्ध में उसका मत। एक व्यक्ति अपने गुणों एवं व्यवहार आदि के सम्बन्ध में जो मत रखता है, वही उसका आत्म–प्रत्यय है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्म–प्रत्यय उसके विचारों पर आधारित होता है तथा उस व्यक्ति के लिए यह आत्म–प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण होता है और आत्म–प्रत्यय व्यक्ति का केन्द्र बिन्दु है।

आईजनेक एवं उसके साथियों ने (1972) लिखा है–''व्यक्ति के व्यवहार, योग्यता और गुणों के सम्बन्ध में उसकी अभिवृत्ति, निर्णय और मूल्यों के योग को ही आत्म–प्रत्यय कहते है।''

शोध कार्य का प्रारूप एवं शोध विधि

प्रस्तुत शोध कार्य को आदर्श मूलक सर्वेक्षण विधि द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। शोधकार्य में विद्यार्थियों की आयु, लिंग व क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) को नियंत्रित चर माना जायेगा। उनके आत्म–प्रत्यय एवं संवेगात्मक परिपक्वता को स्वतन्त्र चर माना जायेगा।

प्रस्तुत शोध में शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

उपकरण

- संवेगात्मक परिपक्वता मापनी का विकास डॉ0 यशवीर सिंह एवं डॉ0 महेश भार्गव द्वारा 1984 में किया गया। प्रश्नावली में 48 प्रश्न हिन्दी में है।
- आत्म–सम्प्रत्यय प्रश्नावली (SCQ) का विकास डॉ0 राजकुमार सारस्वत द्वारा वर्ष 1981 में किया गया जिसमें 48 प्रश्न हिन्दी में है।
- प्रस्तुत शोध में शैक्षिक उपलब्धि के अन्तर्गत यू0पी0 बोर्ड के विद्यार्थियों की हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्तांकों को ही शैक्षिक उपलब्धि माना है।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र बुलन्दशहर रखा गया है। अतः बुलन्दशहर के विभिन्न विद्यालयों में से अनुसूचित जाति के इण्टर कक्षाओं (XI, XII) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही प्रस्तुत शोधकार्य के लिए जनसंख्या है।

न्यादर्श

न्यादर्श का चयन यादृच्छिक न्यादर्श विधि से माध्यमिक 10 कालेजों में अध्ययनरत 100 विद्यार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया जिसमें 50 प्रतिशत छात्र व 50 प्रतिशत छात्राऐं है। विद्यार्थियों से प्राप्त आंकड़ों का प्रश्नावली

मेनुअल के अनुसार प्रश्न के चयनित विकल्प को अंक प्रदान कर उनका योग किया गया तत्पश्चात् प्राप्त आंकड़ो का सारणीयन विद्यार्थियों के समुहवार किया गया तथा इस अध्याय में प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीक का वर्णन किया गया। जिसमें मध्यमान, मानक विचलन, t मूल्य तथा सह–सम्बन्ध गुणांक का अध्ययन किया गया।

डाटा सरणी–1

School	Boy	Girls	Total Boy	Tolal Girls	Total
10	5	5	50	50	100

आंकड़ों का विश्लेषण एवं अर्थापन

सारणी सं0 2

विद्यार्थियों के आत्म–प्रत्यय तथा संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सह–सम्बन्ध की सार्थकता

(Total Boys and Girls)

Variables	*N*	Mean	S.D.	'r' value	Level of Significant
Self Concept	100	180.49	17.79	–.351	Significant
Emotional Maturity	100	85.50	23.25		
'r' = –.351>.062			d.f. = 898 at		0.05 level = .062
'r' = –.351>.081					0.01 level = .081

सारणी 1 के अनुसार छात्र–छात्राओं के आत्म–प्रत्यय का मध्यमान (Mean) 180.49 व मानक विचलन (S.D.) 17. 79 है तथा संवेगात्मक परिपक्वता का मध्यमान (Mean) 85.50 व मानक विचलन 23.25 है। छात्र तथा छात्राओं के आत्म–प्रत्यय के प्राप्तांको का मध्यमान 180.49, संवेगात्मक परिपक्वता के मध्यमान 85.50 से बहुत अधिक है तथा आत्म–प्रत्यय के मानक विचलन 17.79, संवेगात्मक परिपक्वता के मानक विचलन 23.25 से कम है। आत्म–प्रत्यय तथा संवेगात्मक परिपवक्ता के मध्यमान एवं मानक विचलनों की गणना करने पर 'r' मान –.351 प्राप्त हुआ। d.f. 898 पर सारणी मान .062 (.05 सार्थकता स्तर पर) व .081 (.01 सार्थकता स्तर पर) है। 'r' मान –.351, सारणी के दोनों मानों .062 तथा .081 से –0.289 व –0.27 अधिक है। जो आत्म–प्रत्यय तथा संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य उच्च ऋणात्मक सार्थक सह–सम्बन्ध को दर्शाता है। ग्राफ सं0–4 में भी दोनों के मध्य सह–सम्बन्ध को देख सकते हैं। अर्थात् विद्यार्थियों के आत्म–प्रत्यय तथा संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य उच्च ऋणात्मक सार्थक सह–सम्बन्ध है।

निष्कर्ष एवं व्याख्या

अनुसूचित जाति के किशोर विद्यार्थियों के आत्म–प्रत्यय तथा संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य उच्च ऋणात्मक सार्थक सह–सम्बन्ध पाया गया। शोधकर्ता ने सम्पूर्ण विद्यार्थियों का सह–सम्बन्ध ज्ञात किया।

प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि आत्म–प्रत्यय और संवेगात्मक परिपवक्ता आपस में सम्बन्ध तो रखती है मगर नकारात्मक। एक चर के घटने या बढ़ने पर दूसरी चर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों के आत्म–प्रत्यय और संवेगात्मक परिपवक्ता एक दूसरे के सहयोगी नहीं है।

सुझाव

शोध निष्कर्षो से अवगत होने के पश्चात यह अनुभव होता है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को अधिकाधिक बढ़ाने, आत्म–प्रत्यय व संवेगात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए अभिभावकों, परिवार एवं विद्यालय को मिलजुल कर सभी आवश्यक सुविधायें देनी चाहिए जिससे प्रत्येक विद्यार्थी स्वतन्त्र वातावरण में अपना सामन्जस्य कर सके।

सन्दर्भ

1. कपिल, एच0के0 (1990), अनुसन्धान की विधियाँ, हरप्रसाद भार्गव प्रकाशन आगरा
2. गैरिट, हेनरी ई0 (1978), शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी, कल्याणी पब्लिशर्स
3. बुच, एम0बी0 (1979), थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, बडौदा
4. शर्मा, आर0ए0 (2006), शिक्षा अनुसंधान, सूर्या प्रकाशन, मेरठ
5. द्विवेदी, ए0एन0 (2006), जरनल ऑफ एजूकेशनल स्टडीज वोल्यूम–4, इलाहाबाद
6. सिंह, सुनिल प्रताप (2006),जरनल ऑफ एजूकेशनल स्टडीज वोल्यूम–4, इलाहाबाद
7. कुकरेती, तनुज (2005), डी0फिल0, गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल
8. सारस्वत, मालती (2006), शिक्षा मनोविज्ञान की रूप रेखा, आलोक प्रकाशन इलाहाबाद
9. कुमार, दिनेश (2008), डि0फिल0 हे0न0ग0विवि0 श्रीनगर, गढ़वाल
10. बुच, एम0बी0 (1991),, फोर्थ सर्वे रिसर्च इन एजूकेशन, एन0सी0आर0टी0 नई दिल्ली
11. श्रीवास्तव, अर्चना (2002), सामान्य और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों में जोखिम स्वीकारने की क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन।
12. अग्रवाल, सुभाष चन्द्र (2002), अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, एवं सामान्य जाति के छात्रों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन।
13. भारतीय शोध पत्रिका लखनऊ, अंक–1 जनवरी–जून 2002, पृष्ठ–71–74